

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स, जेल रोड़, भोपाल

क्रमांक बी-6/नियमन/विधि/3678
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27.09.2008

श्री.....
कलेक्टर,
.....जिला..... ।

विषय:- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना ।

प्रदेश के कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार प्राप्त कृतकारियों के जीवन यापन हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना" की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 25.9.2008 को भोपाल में सम्पन्न महा सम्मेलन में की गई है, जिसके क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। योजना की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

इस योजना अन्तर्गत कृषि आधारित रोजगार करने वाले वे समस्त व्यक्ति है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े कार्य से जुड़े हुए है, योजना की कंडिका-2 में उल्लेखित विभिन्न परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति सहायता प्राप्त करने हेतु अधिकृत होंगे।

यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि यदि हितग्राही किसी अन्य शासकीय योजना अन्तर्गत, योजना में उल्लेखित बिन्दुओं पर सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता रखता है, तो वह इस प्रस्तावित योजना अन्तर्गत प्रावधानित क्षतिपूर्ति के लिये अपात्र माना जायेगा।

योजना अन्तर्गत क्षतिपूर्ति सहायता प्राप्त करने के लिये हितग्राही को या हितग्राही के परिवार के सदस्य एवं निकट संबंधी द्वारा जिला कलेक्टर को योजना के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 में आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा कलेक्टर कार्यालय द्वारा इस आवेदन का परीक्षण राजस्व पुस्तिका परिपत्र के खंड-6 क्रमांक-4 में प्रावधानित प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के प्रकरणों के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

कलेक्टर द्वारा प्रत्येक प्रकरण में राशि स्वीकृत करने के उपरांत राशि की मांग करने पर इसकी प्रतिपूर्ति म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संबंधित कलेक्टर को की जायेगी तथा इस राशि की संपरीक्षा, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संपरीक्षकों द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

आपसे अनुरोध है कि मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना का जिलों में व्यापक प्रचार प्रसार कर, क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(विधेक अग्रवाल)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक बी-6 / नियमन / विविध / 3679-82
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27.09.2008

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, म.प्र. शासन ।
2. प्रमुख सचिव, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
3. संभागायुक्त (समस्त) संभाग.....म.प्र. ।
4. श्री अनुराग जैन, सचिव, मान. मुख्यमंत्री म.प्र.शासन ।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

“मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना”

प्रदेश के कृषकों तथा कृषि से सम्बद्ध ऐसे कृत्यकारियों जो कृषि आधारित रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करते हैं के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए “मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना” प्रभावशील की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कृषक की परिभाषा वही होगी जो म.प्र.राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 2(ख) में उल्लेखित है। कृषि आधारित रोजगार करनेवाले वे समस्त व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं।

2. योजना का लाभ निम्न परिस्थितियों में देय होगा।

01. कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए (जिसमें खेती से संबंधित सिंचाई कार्य भी शामिल है) दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर।
02. सिंचाई कार्य हेतु कुआ खोदते समय, ट्यूबवेल स्थापित करते समय एवं ट्यूबवेल संचालित करते समय बिजली का करन्ट लगने से मृत्यु या अंग-भंग।
03. कृषि कार्य करते समय बिजली का करन्ट लगने अथवा खेत से गुजरने वाली विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग-भंग होने पर।
04. खेतों में फसलों, फल-सब्जियों पर रासायनिक दवाइयों आदि के छिड़काव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर।
05. विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण एवं मण्डी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत “क्रय केन्द्रों” एवं राज्य शासन द्वारा घोषित “क्रय केन्द्रों” पर कृषि उपज की बिक्री के समय कृषि यंत्रों के उपयोग करते समय एवं बोरियों की ढेरी लगाते समय हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर।
06. मण्डी प्रांगण में ट्रैक्टर-ट्राली, बैलगाड़ी इत्यादि के पलटने पर हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर।
07. कृषि उपज के विक्रय के लिए तथा घर से खेत में आते जाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में हुई मृत्यु एवं अंग भंग होने पर।
08. कुट्टी की मशीन एवं कृषि संयंत्रों से केश मशीन में आने से (डिस्कैल्पिंग) दुर्घटना में हुई मृत्यु एवं अंगभंग के लिए।
09. कृषि सुरक्षा पशु चराई, पेड़ों की छटाई एवं कृषि की रखवाली करते समय हुई दुर्घटना में हुई मृत्यु एवं अंगभंग के लिए।

3. परिस्थितियां जब योजना के प्रावधान लागू नहीं होंगे :-

ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि जिनका प्रावधान राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड 6 क्रमांक-4 में उल्लेखित है, की क्षतिपूर्ति उक्त योजना के अंतर्गत नहीं की जा सकेगी। इसी के साथ ऐसे हितग्राही, जिन्हें कण्डिका क्रमांक 2 में उल्लेखित हानि की क्षतिपूर्ति के लिये किसी अन्य शासकीय योजना से पात्रता हो तो वे इस योजना के अंतर्गत प्रावधानित क्षतिपूर्ति सहायता के लिए, अपात्र माने जायेंगे।

4. कण्डिका 2 में उल्लेखित परिस्थितियां घटित होने पर आर्थिक सहायता राशि:-

01. मृत्यु होने पर	—	50,000 /—
02. दुर्घटना में स्थाई अपंगता	—	25,000 /—
03. दुर्घटना में अंग भंग होने से आंशिक अपंगता	—	7,500 /—
04. अंत्येष्टी अनुदान	—	2,000 /—

5. योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति की प्रक्रिया :-

कण्डिका 2 में उल्लेखित परिस्थितियां घटित होने पर संबंधित हितग्राही एवं दुर्घटना होने पर उसके परिवार के सदस्य एवं निकट संबंधी द्वारा जिले के कलेक्टर की परिशिष्ट एक में प्रारूप अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा। कलेक्टर कार्यालय में यह आवेदन प्राप्त होने पर यह परीक्षण उसी प्रकार कराया जायेगा जिस प्रकार राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड 6 क्रमांक-4 में प्रावधानित प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के प्रकरणों में किया जाता है। जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाए जाने पर कंडिका-4 में अंकित सहायता राशि स्वीकृत कर संबंधित हितग्राही परिवार एवं उसके निकट संबंधी को तस्दीक किए जाने के उपरान्त वितरित की जायेगी। कलेक्टर द्वारा अधिकृत राजस्व अधिकारियों द्वारा वितरित की जायेगी।

कलेक्टर द्वारा प्रत्येक प्रकरण में राशि स्वीकृत करने के उपरान्त राशि की मांग करने पर उतनी राशि म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध कराई जायेगी।

6. योजना के होने वाले व्यय के लिए राशि की व्यवस्था :-

योजना के अंतर्गत प्रावधानित आर्थिक सहायता पर होनेवाले व्यय की पूर्ति करने के लिए म.प्र.कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि)नियम, 2000 के नियम 7 के प्रावधान अंतर्गत कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि की नियत राशि की 10 प्रतिशत में से 2 प्रतिशत राशि योजना के संचालन के लिए आरक्षित की जायेगी। इन प्रावधानों के अंतर्गत संग्रहित रकम मण्डी बोर्ड में एक पृथक खाता खोलकर संधारित की जायेगी तथा कलेक्टरों से राशि की मांग प्राप्त होने पर खाते से राशि का आहरण कर उन्हें उपलब्ध कराई जायेगी। संबंधित जिला कलेक्टर वितरित की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भुगतान करने के एक माह के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे। जिला कलेक्टरों द्वारा सहायता अंतर्गत व्यय की गई राशि की सम्परीक्षा बोर्ड के सम्परीक्षकों द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(विषेके अग्रवाल)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

“मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत”

परिशिष्ट—एक में (प्रारूप—अ)

योजना की कंडिका 2 (1 से 9) के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदन मृत्यु होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।

प्रति,

कलेक्टर,
जिला.....
(म.प्र.)

स्वयं के हस्ताक्षर
से प्रमाणित पासपोर्ट
साईज स्वयं का
फोटो

निवेदन है कि,

मैं (आवेदक का नाम) आत्मज आयु.....
ग्राम थाना तहसील जिला
का निवासी हूँ।

(1) दिनांक स्थान ग्राम तहसील
जिला श्री उक्त स्थान के कृषक है, का कृषि कार्य
(1 से 9) करते दुर्घटना के कारण दिनांक को निधन हो गया है। शासकीय
चिकित्सक/चिकित्सालय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(2) यह भी निवेदन है कि निधन होने वाले व्यक्ति के लिये किसी अन्य शासकीय संस्था
से सहायता प्राप्त नहीं की गई है।

(3) मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैं आवेदक निधन हुए व्यक्ति
का संबंधी हूँ। (संबंध का नाम व विवरण)

अतः अनुरोध है कि सहायता राशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

(4) मैं (आवेदक) यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त दावे के संबंध में अथवा प्राप्त राशि के
दावे के संबंध में यह पाया जाये ऐसा दावा या घोषणा असत्य तथ्यों अथवा असत्य जानकारी
अथवा असत्य प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई हो तो कलेक्टर को अधिकार होगा कि
वह प्राप्त सहायता राशि को ब्याज सहित एक मुश्त वसूल कर लें एवं असत्य जानकारी के
लिये कानूनी कार्यवाही करें।

हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....
पता :-.....
दिनांक:-.....


“मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत”

परिशिष्ट-एक में (प्रारूप-ब)

योजना की कंडिका 2 (1 से 9) के अनुसार दुर्घटना में अंग भंग होने पर सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदन मृत्यु होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।

प्रति,

कलेक्टर,
जिला.....
(म.प्र.)



निवेदन है कि,

मैं.....(आवेदक का नाम) आत्मजआयु.....
ग्रामथाना.....तहसील.....जिला.....का
कृषक हूँ। खसरा क्रमांक..... है।

आवेदक दिनांकको स्थानग्राम.....
तहसील.....जिला.....कृषि कार्य (1 से 9) करते हुए दुर्घटना में निम्नानुसार
अपंगता (अंग भंग) हुआ है। जिसका शासकीय चिकित्सक द्वारा दिया गया प्रमाण आवेदन
पत्र के साथ संलग्न है।

क्रमांक	शारीरिक अंग का नाम	अंग भंग का विवरण	स्थायी/अस्थायी अपंगता	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.

(1) मैं (आवेदक) उपरोक्त अपंगता के कारण अब अपना कार्य करने में असमर्थ हूँ अथवा कार्य करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(2) मैं (आवेदक) यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त अंग भंग मुझे अपने कृषि कार्य करते समय दुर्घटना के कारण प्राप्त हुई।

अतः अनुरोध है कि सहायता राशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

(3) मैं (आवेदक) यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त दावे के संबंध में अथवा प्राप्त राशि के दावे के संबंध में यह पाया जाये ऐसा दावा या घोषणा असत्य तथ्यों अथवा असत्य जानकारी अथवा असत्य प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई हो तो कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह प्राप्त सहायता राशि को ब्याज सहित एक मुश्त वसूल कर लें एवं असत्य जानकारी के लिये कानूनी कार्यवाही करें।

हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....
पता :-
ग्राम.....
तहसील.....
जिला.....
दिनांक:-.....

“मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत”

परिशिष्ट-एक में (प्रारूप-स)

योजना की कंडिका 2 (1 से 9) के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होने पर अंत्येष्टी अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप।

प्रति,

कलेक्टर,
जिला.....
(म.प्र.)

निवेदन है कि,

मैं.....(आवेदक का नाम) आत्मजआयु.....
ग्रामथाना.....तहसील.....जिला.....मण्डी
क्षेत्रका निवासी हूँ।

दिनांकस्थानग्राम.....तहसील.....
जिला.....श्रीजोउक्त स्थान के
कृषक है, का कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना के कारण निधन हो गया है।

अतः अनुरोध है कि अंत्येष्टी के लिये अनुदान स्वीकृत करने का कष्ट करें।

मैं (आवेदक) यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त दावे के संबंध में अथवा प्राप्त राशि के दावे के संबंध में यह पाया जाये ऐसा दावा या घोषणा असत्य तथ्यों अथवा असत्य जानकारी अथवा असत्य प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई हो तो कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह प्राप्त सहायता राशि को ब्याज सहित एक मुश्त वसूल कर लें एवं असत्य जानकारी के लिये कानूनी कार्यवाही करें।

नोट-सहायता देने के पूर्व प्रतिष्ठित/गणमान्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणिकरण किया जायेगा।

हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....
पता :-
ग्राम.....
तहसील.....
जिला.....
दिनांक:-.....